पत्र संख्याः–15/एम 1–226/09 –1160

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
कुलसचिव, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय।
निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना।
कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक 19/6/2014

विषयः– मानवाधिकार विषय पर राज्य के जनमानस को जागरूक करने हेतु छात्र–छात्राओं के चयन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 12.06.2014 को माननीय अध्यक्ष, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आहूत बैठक में विभागीय प्रतिनिधि को इस आशय का निदेश दिया गया कि पटना में अवस्थित सभी प्रमुख महाविद्यालयों (विधि महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय, प्रबंधन महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय सहित) से प्रत्येक महाविद्यालय से 10 विद्यार्थियों को चयनित कर उनकी सूची बिहार मानवाधिकार आयोग को उपलब्ध कराया जाए। चयनित विद्यार्थियों को मानवाधिकार विषय पर जागरूकता के निमित्त Capsule Course के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये विद्यार्थी सभी जिलों में भ्रमण कर लोगों को मानवाधिकार विषय पर जागरूक करने का कार्य करेंगे। विद्यार्थियों में न्यूनतम 50 % छात्राएँ होंगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त विषयवस्तु को ध्यानगत रखते हुए विद्यार्थियों को चयनित कर उसकी सूची बिहार मानवाधिकार आयोग को उपलब्ध कराया जाए। साथ हीं उसकी एक प्रति निदेशक (उ०शि०) को भी अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन,

ह० 19/6/14

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

राजेश